

तारीख  
हुयम

हुयम या नारायणी मय इन्डियायल्स जज

नाम  
अधिकारी  
हुयम  
केंद्र

इपयोग. उपयोग में लाया उपगत कर के दरमम इनका यह  
रहे हैं पेसी सिगारे में प्राचीनता के हितों को उपगत के  
शरतों इप तथा उपगत जेनी के कारिकाए होने से इतर  
विपक्षीयता के विरुद्ध नारायणी इतिहास तक इन्डियायली निधि प्रयोग  
के पावतु किया जाना आवश्यक है.  
इपरोस्य विवेचन के माध्यम पर प्राचीनता का उपगत  
इतिहास मायम व सुविधा कुशलता प्राचीनता के  
पक्ष में होने के नारायणी इतिहास तक विपक्षीयता के  
इन्डियायली निधि प्रयोग के पावतु किया जाना आवश्यक  
है. इन!

०० कोदे ००

उपगत कोगत पत्वार इतर कोगत तदस्य  
ओडम जिला भीलवाडा में स्थित हाम नारायणी  
गन्कन २७३३, २७३४, २७३५, २७३६, २७३७, २७३८,  
२७४०, २७४१, २७४२, २७४३, कुल जिला १० इतर  
७ कीप्रा ४ बिस्वा इतर के शरतन देरुडि नी यथास्थिति  
बनाये शरतों हेतु नारायणी नारायण तक विपक्षीयता  
के विरुद्ध इन्डियायली निधि प्रयोग जारी की जाती है।  
पुत्रता को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जमीन  
कम्पन विपक्षीयता के तलक किया जावे। वारतों  
विपक्षीयता की तलकी हेतु पत्रावली दिनांक  
२९-९-१६ को पेश है।

(देवी सिंह)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

२९-९-१६

पत्रावली पेश इतर। वरीयता प्राचीनता उपरोक्त विपक्षीयता  
के कम्पन काड नारायणी उपगत इप। किं नारायणी पत्रावली  
किया जाये। विपक्षीयता उपरोक्त नहीं। विपक्षीयता के  
जितनी ही मार्ग का सिद्धि का कार्य दिरुडि जाके के  
उपरोक्त की उपरोक्त नहीं होने के कारण इत तक  
नारायणी सिद्धि जाके का नारायणी विपक्षीयता इतर

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

म ख

पु.क्र.सं/के.नं.सं 437/2016 प्र.प.प.सं

हुस्न या कारखाने मय इमिग्रेशन जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुस्न की तामील  
में जारी हुए

प्राचीनता के एक तरफा बंदक करनी जारी/द्वितीय प्राचीनता  
 जो एक तरफा बंदक करनी जारी/बंदक के दौरान द्वितीय  
 प्राचीनता के विपरीतता के सिद्ध नरुआपी निवेदनपत्र  
 जारी दिनें जहां जो इस्ताइरा मी।  
 जेठे-पञ्जाबी का इवकोर (द्वि.प.प.सं) बंदक परमण्ड  
 प्रिया गया। न्याय सित ५-प्राचीनता का प्राचीनता  
 यात्रा 212 R-T-A स्वीकार दिनें जाइत पूर्व के जारी  
 नरुआपी निवेदनपत्र छल वाड के निवेदनपत्र तक क-पत्र  
 (न-प्राची) जारी जारी है। पञ्जाबी के कान इस्ताइरा  
 जाइत इफ्तार दारिकाम है।

hul  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मंडल जिला भीलवाड़ा

